संख्या-14/2020/2906/22-2-2019-17(1019)/2019

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक पुलिस/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 08 जनवरी, 2020***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अमर बहादुर वर्मा पुत्र श्री जगत नारायण वर्मा निवासी जनपद-प्रतापगढ की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-33451/प्रोबे0-5-दयायाचिका बैठक-26.09.2019 दिनांक 15.11.2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अमर बहादुर वर्मा पुत्र श्री जगत नारायण वर्मा, जो गहरौली, थाना-कोंहडौर, जनपद-प्रतापगढ का रहने वाला है। बन्दी द्वारा दहेज की मांग को लेकर दिनांक 12.11.2003 को अपनी पत्नी व 02 पुत्रियों की हत्या कारित की गयी है। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-66/2004 में भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 सत्र न्यायाधीश, प्रतापगढ के आदेश दिनांक 12.12.2007 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 31.01.2013 द्वारा अपील को निरस्त करते हुए आजीवन कारावास की सजा को बहाल रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 10.07.2018 तक 14 वर्ष 07 माह 28 दिन की अपरिहार सजा तथा 18 वर्ष 00 माह 21 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति की गयी है किन्तु दयायाचिका समिति द्वारा बन्दी की उम्र 46 वर्ष एवं कारित अपराध की प्रकृति (पत्नी एवं 02 पुत्रियों की हत्या) के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अत: उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि अमर बहादुर वर्मा (बन्दी संख्या-1241/07) पुत्र श्री जगत नारायण वर्मा, निवासी जनपद-प्रतापगढ की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

संख्या-14/2020/2906(1)/22-2-2019 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी प्रयागराज।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in